अनुदान संख्या 34 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 34 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*186,46,00*	*169,30,26*	*-17,15,74*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*14,70,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5178,81,00	5228,82,00	4865,94,49	-362,87,51
पूरक	Supplementary	50,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				343,00,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		18,00,00	7,90,56	-10,09,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,02,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*18646.00*	*17176.00*	*16930.26*	*-245.74*
पु.	*R.*	*-1470.00*			

(I) "भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक – मुख्यालय कार्यालय" के अंतर्गत – *₹1831.50 लाख* की बचत (*₹18193.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) मंहगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने के, कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" - saving of *₹ 1831.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 18193.00 lakhs*) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and restriction of expenditure by Ministry of Finance.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹36287.51 लाख) सितंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹5001.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹36287.51lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹5001.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	517881.00			
पू.	S.	5001.00	488582.00	486594.49	-1987.51
पु.	R.	- 34300.00			

(I) "सिविल लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय" के अंतर्गत – ₹164902.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹169903.00 लाख किया गया। तथापि, ₹5894.61 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत – कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा खरीद/एएमसी के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" - the original provision of ₹164902.00 lakhs was augmented to ₹169903.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5001.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5894.61 lakhs (including supplementary grant) - due to freezing of dearness allowance, receipt of less medical claims, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic, restriction of expenditure by Ministry of Finance and requirement of less funds towards purchases/AMC.

(II) "सिविल लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय" के अंतर्गत – ₹22401.82 लाख की बचत (₹268208.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) "डाक तथा दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹2213.98 लाख की बचत (₹16526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) "रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹2146.48 लाख की बचत (₹27725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) "रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹757.37 लाख की बचत (₹12178.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) "विदेशी लेखा परीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹1128.17 लाख की बचत (₹3441.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VII) "वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹986.80 लाख की बचत (₹21337.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छः शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(VIII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹758.28 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत थी।

(II) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Audit Offices" - saving of ₹22401.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹268208.00 lakhs);

(III) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹2213.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16526.00 lakhs);

(IV) Under "Railway Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹2146.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27725.00 lakhs);

(V) Under "Defence Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹757.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12178.00 lakhs);

(VI) Under "Overseas Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹1128.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3441.00 lakhs); and

(VII) Under "Commercial Audit Offices - Field Offices" - saving of ₹986.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21337.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and restriction of expenditure by Ministry of Finance.

(VIII) Under two heads saving of ₹758.28 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4216”	Major Head “4216”				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	900.00	386.00	263.98	-122.02
पु.	R.	-514.00			

(I) “सरकारी आवासीय भवन – आईए और एडी के कर्मचारियों के लिए आवास योजनाएं – तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण” के अंतर्गत – ₹636.02 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Government Residential Buildings - Housing Schemes for employees of IA&AD - Acquisition of ready built flats” - saving of ₹636.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-completion of works by Central Public Works Department.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹373.42 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹373.42 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.